...ga ram Banam Sarkar

...दनांक	हुक्म कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए
3/10/17	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उप.। विप्रार्थी क्र. 2 की ओर से वकील श्री हरिराम चौधरी ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते उभय पक्ष की बहस एवं आदेश हेतु दि. 5/10/17 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी शिव	
5/10/17	पत्रावली पेष हुई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1 पैरोकार उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली में विप्रार्थी संख्या 1 की ओर से मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। प्रार्थीगण ने संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 649/500, 500/129 रकबा कमशः 11.03, 26.07 बीघा कुल रकबा 37.10 बीघा भूमि तथा विप्रार्थी संख्या 2 के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 499/129, 651/499 रकबा क्रमशः 36.17, 0.13 बीघा कुल रकबा 37.10 बीघा भूमि मौजा आंरग पटवार मण्डल आरंग तह0 शिव की भूमि के लट्ठा नक्शा में की गई तरमीम राजस्व रेकर्ड मे अंकित रकबा से कम – ज्यादा की गई होने से तरमीम दुरूस्ती का आवेदन प्रस्तुत किया है। विप्रार्थी संख्या 2 की ओर से वकील श्री हरीराम चौधरी उपस्थित हुए एवं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने का निवेदन किया। हमने उभय पक्ष अधिवक्ताओ को सुना व तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट का आवलोकन किया। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार उभय पक्ष तरमीम दुरूस्त करवाने बाबत सहमत है। मौका फर्द के संलग्न वर्तमान तरमीम अनुसार नक्शा ट्रेंस तथा वास्तविक राजस्व रेकर्ड में अंकित रकबा स्थिति में काफी अन्तर है। दोनो में एकरूपता बनाये रखने की दृष्टि से वाद ग्रस्त भूमि की प्रस्तावित तरमीम नक्शा अनुसार लट्ठा नक्शा मे तरमीम दुरूस्त किया जाना अदालत उचित समझती है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 649/500, 500/129 रकबा क्रमशः 11.03, 26.07 बीघा कुल रकबा 37.10 बीघा भूमि तथा विप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 499/129, 651/499 रकबा क्रमशः 36.17, 0.13 बीघा कुल रकबा 37.10 बीघा भूमि मौजा आंरग पटवार मण्डल आरंग तह0 शिव की भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते	(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी शिव

Scanned by CamScanner

हुए मौका फर्द के संलग्न निरीक्षक भू– अभिलेख भीयाड द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित तरमीम नक्शा अनुसार दुरस्त करने के आदेष पारित किये जाते है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार लट्ठा नक्शा में तरमीम दुरूस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। मौका फर्द के संलग्न नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 4.10.2019 सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.15 14:30:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: